न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 68/20 **सन् 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00151

बउनवानीः—

1. रतनलाल पुत्र रामफूल मीना नि0 जौला,तहसील चौथ का बरवाडा
2. मथुरा लाल दत्तक पुत्र सावंल्या मीना नि0 जौला,तहसील चौथ का बरवाडा
3. धूलीराम पुत्र रामफूल मीना नि0 जौला,तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारस्या बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
2. कन्हैया पुत्र ग्यारस्या बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
3. धोली पुत्र ग्यारस्या बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
4. हरिराम पुत्र गंगाधर बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
5. बाबू पुत्र गंगाधर बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
6. सुरज्ञान पुत्र गंगाधर बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
7. घनश्याम पुत्र लख्खा बैरवा निवासी जौला तह0 चौथ का बरवाडा
8. तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 11/19 अन्तर्गत धारा 183 बी, मे पारित आदेश दिनांक 24.5.2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितः— 1. श्री अजय शेखर दवे — वकील अपीलान्ट,
2. श्री छोटू सिंह गुर्जर — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 10.11.2021**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/19 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 24.5.2019 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि विपक्षीयान ने न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष धारा 183 बी के तहत गलत तथ्यों के आधार पर जो प्रा0पत्र प्रस्तुत किया उसमे अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों की जानकारी किये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि 183 बी के प्रावधान भी उक्त प्रकरण में लागू नही होते है ऐसे प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होते है जब कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिचार करते है प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इन प्रावधानों के विपरीत है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि ख0न0 1092 ,1093 रकबा कमश 1.07 है0 व 0.12 है0 जिसका साबिक ख0[illegible] द्वारा अपीलान्ट के यहॉ रहन रखने की बात स्वीकार की है किन्तु इसके पश्[illegible] किये जाने के तथ्यों को न्यायालय से जानबूझकर छिपाया है। विपक्षी[illegible] को एक विक्रय नामा जरिये रतन लाल पुत्र रामफूल मीना [illegible] की अपनी 1/2 हिस्सा दो लाख पचपन हजार रूपये लेकर कब्जा सौपा था उक्त इकरार नामा नोटरी पब्लिक से [illegible]शुद्वा है तथा इसमे रूबरू गवाहान हरिराम ने उक्त विक्रय पत्र [illegible] हस्ताक्षर किया है। यह[illegible] भी दिया कि ख0न0 1092 व 1093 के शेष 1/2 हिस्से के बारे मे दिनांक 7.5.2001 को घनश्याम पुत्र लख्खा, भवंर लाल पुत्र लख्खा ने बेचान की तहरीर लिखी जो भी नोटरी पब्लिक से तस्दीक होकर प्रार्थी को सुपुर्द की है उक्त तहरीर मे भी शेष 1/2 हिस्से का कब्जा स्वेच्छा से प्रार्थी रतन को सौपने की स्वीकारोक्ति है। विपक्षीगण के उक्त कनडक्ट से जाहीर होता है कि अपीलान्ट ने विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भूमियों पर अतिचार नही किया बल्कि स्वैच्छा से कब्जा व अधिकार सौपा है। उक्त घटनाक्रम से रेस्पो. का दोहरा कृत्य उजागर होता है उन्होने केवल कानूनी प्रावधानो का अनुचित लाभ लेने के लिए अपने सदभाविक संव्यवहार को न्यायालय से छिपाते हुए गलत तथ्य अंकित किये है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आराजीयात पर अपीलान्टगण निर्वाध रूप से काश्त कर रहे है उन्होने काफी लागत लगाकर उक्त भूमियों का समतलीकरण करवाया वही तारफेसिंग आदि करवाकर पांच वर्ष पूर्व अमरूद्व के पौधे लगवाये है उक्त खेत अब सरसब्ज हो गया है जिससे विपक्षीयान की नियत में लालच आ गया है। उक्त प्रकरण में धारा 183 बी का सहारा नही लिया जा सकता है दिनांक 16.10.2020 को जब उक्त आदेश की चिटठी अपीलान्ट को भेजने पर सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने व नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि हमारी खातेदारी भूमि ख0न0 1092 रकबा 1.07 है0 व 1093 रकबा 0.12 है0 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के पास के पास स्थित है। उक्त भूमि को पूर्व में हम रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को बतौर गिरवी मुनाफा काश्त पर दिया था और उक्त मुनाफा काश्त व गिरवी की राशि रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट को तीन वर्ष बाद अदा कर दी थी किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर से अपना कब्जा नही हटाया जाने पर हम रेस्पो. द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष धारा 182 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पटवारी हल्का जौला से प्राप्त की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.5.2019 के अनुसार हम रेस्पो. की खातेदारी भूमि पर अपीलान्टगण का अवैध कब्जा होना पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया उक्त भूमि को लेकर हमारे द्वारा किसी प्रकार का विकय पत्र भी अपीलान्ट के पक्ष में नही किया है ओर वैसे भी अनुसूचित जाति की भूमि का विकय पत्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम हो भी नही सकता है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पो0 की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया है।

वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पो0 विवादित भूमि ख0न0 1092 व 1093 के रिकार्डेड खातेदार है जिसपर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का जौला की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.5.2021 एवं 16.7.2021 से हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि कय करने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हरिराम व घनश्याम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का इकरारनामा किया है शेष खातेदारान के हिस्से की भूमि के बैचान बाबत कोई इकरारनामा नही हुआ है, एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि का जब तक आपसी सहमति से बटवारा नही हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि पर सभी सह खातेदारान का समान हिस्सा होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किये गये उक्त इकरारनामा के आधार पर हुऐ बैचान भी राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम,1955 की धारा 42 के विरूद्व है जिसको कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नही है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है जिनको बेदखल करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन कि आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:43 IST
Reason: SelfAttested